मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
==x==

क्रमांक 1329 /2002/82/नि-1/चार, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 1982
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश :

विषय:-परिवर्तित (कम्युटेड) अवकाश पर जाने वाले शासकीय सेवकों द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश ।

चिकित्सीय आधार पर अवकाश पर जाने वाले शासकीय सेवकों को उनकी स्वयं की अस्वस्थता की पुष्टि के लिये चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा ऐसे अवकाश प्रकरणों को निराकरण के लिये म0प्र0सिविल सर्विसेज अवकाश नियम 1977 के नियम 17 में निर्देश दिये गये है । अब तक चिकित्सीय आधार पर अवकाश पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अवकाश पर जाने के दिनांक से तीन दिन के अंदर नियम17(6) के अनुसार चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान था जिसे अब वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2133/2002/82/नि0-1/चार, दिनांक 11-10-82 द्वारा संशोधित करके अवकाश पर जाने के दिनांक से 7 दिन के अंदर चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है ।

2/ वर्तमान में चिकित्सीय आधार पर परिवर्तित अवकाश पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अवकाश पर जाने के समय निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार चिकित्सीय प्रमाण पत्र तथा कार्यभार ग्रहण करते समय म0प्र0 सिविल सर्विसेज अवकाश नियम 1977 के नियम 23(3) के प्रावधानों के अनुसार "फिटनेस"प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चिकित्सीय आधार पर अवकाश/ परिवर्तित अवकाश पर जाने वाले शासकीय सेवकों को उपरोक्त संशोधित नियम 17(6) के प्रावधानों के अनुसार अवकाश पर जाने के दिनांक से 7 दिन के अंदर निर्धारित प्रपत्र पर अपनी अस्वस्थता की पुष्टि के लिये चिकित्सीय

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना व कार्यभार ग्रहण करते समय नियम 23(3) के अनुसार "फिटनेस" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना) भी अनिवार्य होगा तथा उस चिकित्सीय प्रमाण पत्र में जिस दिनांक से उन्हे चिकित्सक द्वारा अस्वस्थ घोषित किया जाय उस दिनांक से ही उन्हे परिवर्तित अवकाश पर माना जा सकेगा अन्यथा उन्हें उक्त अवधि का अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाना होगा ।

इस संबंध में नियमों में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि भी संलग्न है ।

संलग्न :-एक/

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-
(अरुण भटनागर)
विशेष सचिव.

पृ०क्रमांक 1330/2002/82/नि-1/चार, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 1982

प्रतिलिपि:-

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश, भोपाल
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल
सतर्कता आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
अवर सचिव(स्थापना), मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
अवर सचिव(अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल,
समस्त वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

2. प्रतिलिपि, महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. प्रतिलिपि, सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

4. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

हस्ता/-
डी० ना० सोनी
अवर सचिव.

// सत्य प्रतिलिपि //

15.x.82

(शशी कांत सक्सेना)
अनुभाग अधिकारी.
म० प्र० सचिवालय.

Government of Madhya Pradesh
Finance De-partment

- - - - -

NOTIFICATION

Bhopal, dated the 11 Oct., 1982.

No. 1331/2002/82/R-I/IV In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh is pleased to direct that the following amendment shall be made in the M.P. Civil Services (Leave) Rules, 1977; namely:-

AMENDMENT

The words 'three days' occuring in the third line of Sub-Rule (6) of rule 17 may be deleted and the words 'seven days' inserted therein.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

A Bh... 7/10/82
(Arun Bhatnagar)
Special Secretary to Govt. of M.P.,
Finance Department.

Endt. No. 1332/2002/82/R-I/IV Bhopal, dated the 11 Oct., 1982.

Copy forwarded to:-

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

the Secretary/Military Secretary to the Governor,
Madhya Pradesh, Bhopal.

the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh,
Indore.

Contd.....2/-

the Controller, Government Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

the Vigilance Commissioner, Madhya Pradesh, Bhopal.

the Under Secretary (Superintendent)/Under Secretary (G.A.D.Establishment)/Accounts Officer,
M.P.Secretariat, Bhopal.

all Finance Officers/Accounts Officers/Treasury Officers, for information.

(ii) Copy forwarded to the Accountant General, Madhya Pradesh, Gwalior/Bhopal for information.

(iii) Copy forwarded to the Secretary, Vidhan Sabha, Madhya Pradesh, Bhopal, for information.

(iv) Copy forwarded to the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, for information.

Sd/-
(H.N.Soni)
Under Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
Finance Department.

/ TRUE COPY /

(S.K.Saxena) 15.X.82
Section Officer,
M.P.Secretariat.Bhopal.